

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 4 मार्च, 2014

:- आदेश :-


श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या ए-8, (नया नम्बर 1/24) गांधीनगर, जयपुर का "रिक्त होने की प्रत्याशा" में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए 'आउट ऑफ टर्न' के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान की निम्न शर्तों के आधार पर उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. नियमानुसार किराया वसूलनीय होगा।
3. पदमुक्त/विधानसभा विघटन होने पर नियमानुसार आवास रिक्त करना होगा।


उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,


(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, जयपुर।
5. उप सचिव (सामान्य) राजस्थान, विधानसभा सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ 2 (5) ससु/विस/2014/11528 दिनांक 26.2.2014 के क्रम में भेजकर लेख है कि श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक महोदय को सामान्य प्रशासन पूल से आवंटित आवास का कब्जा लेने के उपरान्त सामान्य प्रशासन पूल से विधानसभा पूल में हस्तान्तरित किये जाने वाले आवासों के अन्तर्गत माना जाए।
6. श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, कोटा उत्तर, निवासी -प्लॉट नं. 9, प्रोफेसर कॉलोनी, नयापुरा, जिला कोटा।
7. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ 14001699 दिनांक 3.3.2014 के क्रम में।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के आईडी संख्या 1101/सीएस-1/2014 दिनांक 24.2.2014 के क्रम में।
10. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
15. श्री देवीसिंह भाटी, पूर्व विधायक, निवासी ए-8 (नया नम्बर 1/24) गांधीनगर, जयपुर-कृपया आवास तत्काल रिक्त कर सूचित करें।
16. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (अनुभाग-5) विभाग।
19. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
20. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव